क्रम-संख्या–63

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 15 अप्रैल, 2020

चैत्र 26, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या 01/2020/634(1)/6-पु-1-20-650(59)-2002टीसी–VI

लखनऊ, 15 अप्रैल, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–13

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

### उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 10 का संशोधन

2-(क) उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में, नियम 10 में उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
|---|---|
| (1) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)<br>(ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का प्रमाण पत्र। | (ग) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवेल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। |

(ख) उपनियम (2) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
|---|---|
| (2) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)<br>(ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का प्रमाण पत्र। | (ग) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवेल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। |

(ग) उपनियम (3) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ग) एवं (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
|---|---|
| (3) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)<br>(ग) न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शार्ट हैण्ड श्रुतलेख। | (ग) न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि श्रुतलेख। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। |
| (घ) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का प्रमाण पत्र। | (घ) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवेल की परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। |

नियम 17 का संशोधन

3-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड (ख) रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ख) लिखित परीक्षा-

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायं, से 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, चार निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगाः-

| विषय | अधिकतम अंक |
|---|---|
| 1. सामान्य हिन्दी/ कम्प्यूटर ज्ञान | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 2. सामान्य जागरूकता / सामयिक विषय | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 4. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |

प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा। लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी अथवा अधिसूचना में प्रकाशित की जाएगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ख) लिखित परीक्षा-

ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन सही पाये जायेंगे, से 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड निम्नलिखित चार विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखेगा :-

| विषय | अधिकतम अंक |
|---|---|
| 1. सामान्य हिन्दी / कम्प्यूटर ज्ञान | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 2. सामान्य जानकारी/ सामयिक विषय | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 4. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |

लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक और कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम का विनिश्चय, बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा (ओएमआर प्रणाली) के माध्यम से अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में, विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में

| स्तम्भ-1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
| --- | --- |
| | संचालित करने के लिए अपने स्तर पर विनिश्चय करेगा।<br>टिप्पणीः-<br>(1) लिखित परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी ।<br>(2) यदि बोर्ड एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को, विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ विभिन्न पालियों में लिखित परीक्षा संचालित करने के लिए विनिश्चय करेगा तो बोर्ड, यदि आवश्यक हो, अपने स्तर पर ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का विनिश्चय कर सकता है और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा । |

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

---

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/2020/634(1)/6-pu-1–20-650(59)-2002 TC-VI, dated April 15, 2020 :

No. 01/2020/634(1)/6-pu-1–20-650(59)-2002 TC-VI

*Dated Lucknow, April* 15, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 46 *read* with section 2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view of amending the Uttar Pradesh Police Ministerial, Accounts and Confidential Assistants Cadres Service Rules, 2015.

THE UTTAR PRADESH POLICE MINISTERIAL, ACCOUNTS AND CONFIDENTIAL ASSISTANTS CADRES SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Ministerial, Accounts and Confidential Assistants Cadres Service (Third Amendment) Rules, 2020

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 10

2. (a) In the Uttar Pradesh Police Ministerial, Accounts and Confidential Assistants Cadres Service Rules, 2015 hereinafter referred to as the said rules in rule 10 in sub-rule (1) *for* clause (c) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

| COLUMN-I<br>*Existing clause* | COLUMN-II<br>*Clause as herby substituted* |
|---|---|
| (1) Police Assistants Sub Inspector (Ministerial) | |
| (c) Certificate of 'O' Level in computer from DOEACC/NIELIT Society. | (c) Must have passed "O" level examination in Computers from the National Institute of Electronic & Information Technology (NIELIT Society), (erstwhile DOEACC Society) of the Government of India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. |

(b) in sub-rule (2) for clause (c) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

| COLUMN-I<br>*Existing clause* | COLUMN-II<br>*Clause as herby substituted* |
|---|---|
| (2) Police Assistants Sub Inspector (Accounts) | |
| (c) Certificate of 'O' Level in computer from DOEACC/NIELIT Society. | (c) Must have passed "O" level examination in Computers from the National Institute of Electronic & Information Technology (NIELIT Society), (erstwhile DOEACC Society) of the Government of India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. |

(c) In sub-rule (3) *for* clauses (c) and (d) set out in Column-I below, the clauses as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

| COLUMN-I<br>*Existing clauses* | COLUMN-II<br>*Clauses as herby substituted* |
|---|---|
| (3) Police Sub Inspector (Confidential) | |
| (c) Hindi Shorthand dictation speed of minimum 80 words per minute. | (c) Hindi Shorthand dictation speed of minimum 80 words per minute. Candidates will be declared successful on the correctness determined by the Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board. |
| (d) Certificate of 'O' Level in computer from DOEACC/NIELIT Society. | (d) Must have passed "O" level examination in Computers from the National Institute of Electronic & Information Technology (NIELIT Society), (erstwhile DOEACC Society) of the Government of India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. |

Amendment of rule 17

3. In the said rules, *for* clause (B) set out in Column-I below, the clause (B) as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I

*Existing clause*

**(B) Written Examination-**

Candidates whose applications are found correct, shall be required to appear for written test of 400 marks. In this written examination, the Board will keep one objective type question paper of four following subjects:-

| Subject | Maximum Marks |
|---|---|
| 1. General Hindi / Computer Knowledge | 100 marks (objective type) |
| 2. General Awareness/ Current Affairs | 100 marks (objective type) |
| 3. Numerical and Mental Ability Test | 100 marks (objective type) |
| 4. Mental Aptitude Test/I.Q .Test / Reasoning | 100 marks (objective type) |

Candidates failing to obtain 50% marks in each of the above subjects shall not be eligible for recruitment. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or on more than one date in different shifts with different question paper. Detailed procedure and syllabus for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its website or shall be published in the notification.

COLUMN-II

*Clause as herby substituted*

**(B) Written Examination-**

Candidates whose applications are found correct, shall be required to appear for written test of 400 marks. In this written examination, the Board will keep one objective type question paper of four following subjects:-

| Subject | Maximum Marks |
|---|---|
| 1. General Hindi / Computer Knowledge | 100 marks (objective type) |
| 2. General Awareness / Current Affairs | 100 marks (objective type) |
| 3. Numerical and Mental Ability Test | 100 marks (objective type) |
| 4. Mental Aptitude Test / I.Q. Test / Reasoning | 100 marks (objective type) |

Candidates failing to obtain 35% marks in each subject and 40% marks in aggregate in the written examination shall not be eligible for recruitment. The detailed syllabus for the examination will be decided by Board and will be displayed on its website. The Board will decide at it own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or more than one date in different shifts with different question paper through pen and paper based written examination (OMR system) or through computer based examination system.

| COLUMN-I<br>*Existing clause* | COLUMN-II<br>*Clause as herby substituted* |
| --- | --- |
| | **NOTE:-**<br>(1) Detailed procedure for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its website.<br>(2) If the Board decides to conduct the written examination in more than one shift or on more than one date in different shift with different question paper, then the Board may, if necessary, decide the process of normalization of marks obtained by the candidates appearing in such examination at its level and be displayed on its website. |

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 760 राजपत्र–(हिन्दी)–2020–(1806)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 20 सा0 गृह–2020–(1807)–2000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

760_RPH_2020